



समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/भोपाल/श्रृंखला/2018/2417 प्रकरण क्रमांक/2018

103

- 1 श्यामलाल पाटीदार आ० श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार,
आयु लगभग 55 वर्ष
- 2 श्रीमति मुरली बाई आयु लगभग 75 वर्ष
पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जी
दोनो निवासी—ग्राम बगली, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र.

(ट्रैक) 23

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्रीमति कौशल्या पाटीदार पत्नी श्री गिरधारीलाल पाटीदार
आयु वयस्क, निवासी—ई-८/१६६, भरत नगर,
शाहपुरा भोपाल म.प्र.

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसील हुजूर जिला भोपाल
म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक ०१/अ-७०/२०१७-१८ पक्षकार श्रीमति कौशल्या पाटीदार
विरुद्ध श्यामलाल पाटीदार में पारित अंतरिम आदेश दिनांक ०६.०२.२०१८ से दुखित
होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत हैः—

निगरानी के तथ्य

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदक श्रीमति कौशल्या पाटीदार ने अपनी
भूमि खसरा नंबर ४४२ रकबा ०.०४० हेठो स्थित ग्राम कटारा, प.ह.नं. २५, तहसील हुजूर
जिला भोपाल की भूमि का दिनांक १५.०९.२०१७ को सीमांकन कराया है, उक्त
सीमांकन नियमों के विरुद्ध सम्पन्न हुआ है। सीमांकन की कार्यवाही से पूर्व दिनांक
०८.०९.२०१७ की तारीख में मेढ़ पड़ौसी कृषकों को सूचनापत्र जारी किया गया है, का
उल्लेख किया गया है, किन्तु किसी भी मेढ़ पड़ौसी कृषक को सूचनापत्र जारी नहीं
किया गया है। सूचनापत्र मो० शरीफ, श्रीमति मुरली बाई, श्यामलाल के नाम से तैयार
किया गया है, जिनका सही पता नहीं दिया है और सूचनापत्र तामीली के पश्चात् जो
तामीली की रिपोर्ट लगायी जाती है, उक्त रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, मेढ़ पड़ौसी
कृषक मौके पर उपस्थित था अथवा नहीं, उसके द्वारा सूचना ली गई अथवा नहीं ली
गई, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है, यदि सूचनापत्र लिया जाता, तो अवश्य ही
निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होते और सूचनापत्र लेने से इंकार किया




1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/2417

जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारी आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	<p>प्रकरण आज प्रस्तुत। प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-02-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है।</p> <p>कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें। उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों।</p>   <p>अध्यक्ष</p>	